न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– **19 / 2025** **GCMS No.2025/57**

प्रहलाद पुत्र प्रभाताराम उम्र 65 वर्ष जाति माली निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

.........वादी

ब–ना–म

1. अनिता देवी पुत्री बाबूलाल
2. कालूराम पुत्र प्रभाताराम
3. कौशल्या देवी पत्नी बाबूलाल
4. गीगाराम पुत्र प्रभाताराम
5. जितेन्द्र कमार पुत्र बाबूलाल
   समस्त जाति माली निवासीगण खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)
6. झण्डूराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी नानूवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)
7. प्रमोद सैनी पुत्र बाबूलाल
8. मनोज सैनी पुत्र बाबूलाल
   जाति माली निवासीगण खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)
9. मनीराम पुत्र गोपालराम दत्तक माता मनोहरी जाति माली निवासी किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)
10. राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मण
11. रामेश्वर पुत्र प्रभाताराम
12. सन्तोष पत्नी लक्ष्मण
13. सुनिता देवी पत्नी बाबूलाल
14. सुरेश पुत्र लक्ष्मण
    जाति माली निवासीगण खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)
15. सुलोचना पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति माली निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)
16. भूमि धारक, राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

.... प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:00:12 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री विजयसिंह कसाणा :– वादी की ओर से
2. श्री ख्यालीराम सैनी :– प्रतिवादी सं. 1 से 15 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

:: निर्णय :: दिनांक : 27/11/25

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2025 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि वाके ग्राम **चिरानी** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी अंतिम चौसाला आधार संवत् 2073–2076 के **हाल खाता संख्या नया 37** में दर्ज खसरा नंबर क्रमशः 1246 / 485, 937 / 482 कुल किता 2 कुल रकबा 2.25 है. तथा ग्राम लगरियावाला स्थित भूमि जमाबन्दी अंतिम चौसाला आधार संवत् 2074–2077 के हाल खाता संख्या नया 5 में दर्ज खसरा नंबर क्रमशः 1247 / 490, 489 कुल किता 2 कुल रकबा 0.42 है. में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 का दर्ज हिस्सा का अलग–अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार तहसीलदार खेतड़ी को 1000 रू. के खर्चे पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बंधी राजस्व विभाग के परित्र दिनांक 06.11.2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6 / 2021 पार्ट / 91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्यनजर रखते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा. म. / न्याय / स्था. / प–15 / 2008 / विविध / 10546 दिनांक 05.10.2020 के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार खेतडी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार खेतडी ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ. / 2025 / 3770 दिनांक 27.11.2025 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकरान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकरान ने तहसीलदार खेतडी द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.11.2025 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.11.2025 (प्रदर्श –''अ–1 लगायत अ–6'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–''ब–1 लगायत ''ब–2'') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी व प्रतिदावा प्रतिवादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.11.2025 (प्रदर्श –''अ–1 लगायत अ–6'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–''ब–1 लगायत ''ब–2'') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी व प्रतिदावा प्रतिवादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.11.2025 (प्रदर्श –''अ–1 लगायत अ–6'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–''ब–1 लगायत ''ब–2'') के अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीगण के हिस्से का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.11.2025 (प्रदर्श –''अ–1 लगायत अ–6'' तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–''ब–1 लगायत ''ब–2'') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार खेतडी पक्षकारान के मौके पर प्रदर्श– ''ब–1 लगायत ब–2'' के अनुसार सीमाकांन करवायेगें। रहन यदि कोई हो तो खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे / हक हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/11/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 16:00:12 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं